मौका कब्जा अनुसार नजरी-नक्शा

N
S

ग्राम - अचपुरा खुर्द
प.मं. भेदरपुरा
तह. - शिवगंज
जिला - सिरोही

प्र.क्र. 20/2024
बाबूलाल v/s रमेश कुन्दनलाल व अन्य
अं. धारा 131, 136 LR Act

स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

राजकार्य हेतु जारी
सत्यप्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:34:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला चौधरी, R.A.S

प्रार्थीगण		**अप्रार्थी**
बाबूलाल पुत्र भगवान सहाय जाति अग्रवाल निवासी आदर्श कॉलोनी सुमेरपुर तह0 जिला पाली	**बनाम**	1.राकेश अग्रवाल पुत्र भगवान सहाय जाति अग्रवाल निवासी दत्ताणी तहसील व जिला सिरोही 2.सीमादेवी पत्नी सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी सिनेमा गली शिवगंज 3.नितिश अग्रवाल पुत्र हिरालाल जाति अग्रवाल निवासी 105 रिक्को कॉलोनी आबूरोड 4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज व अन्य
विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राठौड		**विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत सोनी**

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

राजस्व विविध संख्या 20/2024

दिनांक 30.08.2024

–:निर्णय:–

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगणों का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक हुकुकों की कृषि भूमि मौजा अखापुरा खुणी पटवार हल्का केसरपुरा भू0 अ0 निरीक्षक शिवगंज तहसील शिवगंज में स्थित है जिसके खाता सं0 163 खसरा नम्बर 144/422 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित हैं। उक्त खसरा सं0 को आगे वादगस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार है तथा प्रार्थी के अलावा वादग्रस्त भूमि का अन्य कोई खातेदार नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी वहैसियत खातेदार काविज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। तथा जिसके कब्जे व खातेदारी को लेकर मौके पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 द्वारा खसरा नं0 144/1 संयुक्त रूप से अलग अलग हिस्से अनुसार खरीद की गई थी। जिसके पश्चात उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 हिस्सा अनुसार काविज है जो निर्विवाद है। उक्त वादग्रस्त आराजी का तरमीमशुदा नक्शा जब प्रार्थी के जानकारी में आया तो ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी का तरमीम नक्शा कब्जा मौके के अनुसार दर्ज नहीं हुआ। उक्त वादग्रस्त भूमि का तरमीम करते वक्त नक्शें में सीमांकन सही दर्ज नहीं किया गया है। प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि की तरमीम सही नहीं होने तथा नक्शें में कब्जे मौके के अनुसार तरमीम नक्शा में सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी को हो रही असुविधा से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण बना। जिससे भविष्य में इस बावत विवाद होने की संभावना है। अतः प्रार्थी ने नक्शें में सही रूप से तरमीम करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगं[illegible]र्ट में अवगत कराया है कि ग्राम अखापुरा खुणी का खसरा नं0 144/422 [illegible]फल [illegible]1619 हैक्टयर वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार बाबूलाल पुत्र भगवान [illegible] आदर्श कॉलोनी सुमेरपुर के नाम से खातेदारी दर्ज है [illegible] जमाबंदी संवत् 2064–2067 के खाता सं0 48 में खसरा नं0 144/1 क्षैत्रफल [illegible] बीघा नरेन्द्र भाटी पुत्र अचलसिंह भाटी 1/3, सरला भाटी पत्नी नरेन्द्र भाटी 1/3, दिनेश पुत्र अचलसिंह भाटी 1/3, जाति माली साकिन जोधपुर के नाम से दर्ज था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:34:22 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–2

प्र0सं0 20/2024
वाबूलाल बनाम राकेश अग्रवाल व अन्य
अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट

नामांतरकरण सं0 339/20.7.2010 प्रकार बैचान द्वारा उक्त खसरे में से खसरा नं0 144/1/421 क्षैत्रफल 01.10 बीघा राकेश अग्रवाल पुत्र भगवान सहाय जाति अग्रवाल निवासी दत्ताणी खसरा नं. 144/1/422 क्षैत्रफल 01.00 बीघा वाबूलाल पुत्र भगवान सहाय जाति अग्रवाल निवासी सुमेरपुर खसरा नं. 144/1/424 क्षैत्रफल 01.10 बीघा सीमादेवी पत्नी सुरेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी सिनेमा गली शिवगंज व खसरा नं. 144/1/424 क्षैत्रफल 01.00 बीघा नितिश अग्रवाल पुत्र हिरालाल जाति अग्रवाल निवासी आबूरोड के नाम दर्ज हुआ। उक्त मूल खसरा नं. 144/1 मौके कब्जे अनुसार शिवगंज से सिरोही जाने वाली सडक से लगते हुए स्थित है। संलग्न पुरानी जमाबंदी संवत् 2064–67 के अनुसार खसरा नं0 144/421, 144/422, 144/423, 144/424, 141/1 के ही टुकडे है परन्तु वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में खसरा नं. 144/422 व 144/424 को अन्यत्र दर्शाया गया है। साथ ही अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने प्रार्थी के नक्शे में हुई त्रुटि के साथ अपने नक्शें को भी सही करने हेतु अपनी सहमति दिनांक 28.06.2024 को दी गई।

तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब पर उभय वकील पक्षकारान की बहस को सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराकर ऑनलाईन नक्शें में हुई त्रुटि को सही करने का निवेदन किया गया। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा अखापुरा खुणी पटवार हल्का केसरपुरा तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 144/421, 144/422, 144/423, 144/424 रकबा कमशः 0.2428, 0.1619, 0.2428, 0.1619 हैक्टयर भूमि का माफिक कब्जा व प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त निर्णय तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शकुंतला, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 58
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:34:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.08.2024

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरोही)